

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
28 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कं./बोर्ड कार्मिक/ख/अनु.नि./727-पार्ट-1/5176 भोपाल दिनांक 21/06/2021
प्रति.

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
ऑंचलिक कार्यालय, भोपाल, जबलपुर,
सागर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, रीवा ।
2. कार्यपालन यंत्री,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर,
खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, ग्वालियर, मुरैना,
जबलपुर, सिवनी, सागर, रीवा।

विषय :- कोविड-19 महामारी के दौरान मृतक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र कं./बोर्ड कार्मिक/ख/अनु.नि./727-पार्ट-1/5836 दिनांक
11/06/2021

उपरोक्त विषयांतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान मृतक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा आपको परिपत्र उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 21.06.2021 को प्रबंध संचालक मंडल द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग की बैठक के दौरान दिये गये निर्देश के पालन में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ज्ञापन कं./सी-3-12/2013/1/3 दिनांक 28.05.2021 की छायाप्रति पुनः संलग्न।

अतः इस परिपत्र के तहत आपके संभाग अंतर्गत राज्य मंडी बोर्ड सेवा एवं मंडी समिति सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों की वार्षिक मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.mp.gov.in से डाउनलोड कर, उक्त ज्ञापन में निर्देशानुसार कोविड-19 के तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव तैयार कर अनुसूचा सहित दिनांक 30.06.2021 तक उपलब्ध कराया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
(प्र.सं. महो. द्वारा निर्देशित)

21.6.21
(डॉ०एस.बी.सिंह)
अपर संचालक (कार्मिक)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

//2//

क./बोर्ड कार्मिक/ख/अनु.नि./727-पार्ट-1/5977

भोपाल दिनांक 21/06/2021

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति,जिला की और
भेजकर निर्देशित किया जाता है कि स्व.श्री/श्रीमती.....
पदनाम..... के पुत्र/भाई/पुत्री/पत्नि कुमारी/श्री/श्रीमती.....
.....को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए वांछित जानकारी/बगलिलेख की पूर्ति
करायी जाकर संयुक्त संचालक/उप संचालक मंडी बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय
को पत्र जारी दिनांक से तीन दिवस में उपलब्ध करावें।

21.6.21
अपर संचालक (कार्मिक)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-12/2013/1/3

भोपाल दिनांक 28 मई, 2021

प्रति.

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- "मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना" लागू किए जाने के संबंध में।

राज्य शासन एतद् द्वारा उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित/स्थायिक/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक/सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करता है।

योजना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

P. Path
(सि.प्र.प्र.प्र.)

अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

13/5
31/5/21

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
17. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
18. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना

1. प्रस्तावना :-

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित/स्थाईकर्मि/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आऊटसोर्स/मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक/सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना निम्नानुसार लागू की जाए:-

2. उद्देश्य:-

इस योजनांतर्गत उपरोक्त प्रस्तावना में उल्लेखित सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था।

3. पात्र कर्मी :-

3.1. राज्य के समस्त नियमित/स्थाईकर्मि/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/ तदर्थ/ संविदा/कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक जिनका वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो ।

3.2. विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आऊटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका

पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित से विकलनीय हो ।

- 3.3. विधि द्वारा स्थापित आयोग, ऐसी संस्थाएं जिनका इत प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जाता है उनमें उपरोक्तानुसार कार्यरत सेवायुक्त पात्र होंगे।

4. पात्रता की शर्तें :-

4.1. मृतक सेवायुक्त मान्य चिकित्सीय जांच में (RAT/RTPCR) कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉजिटिव होने के छठ दिन के भीतर किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गयी हो।

4.2. मृत्यु की तिथि पर वह शासन के बियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत हो।

4.3. मृतक सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिये।

4.4. उक्त योजना अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29/09/2014 की कण्डिका 2 के अनुसार होगा।

4.5. मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा।

4.6. दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद,

2
Rat

आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

4.7. यदि किसी शासकीय सेवक/सेवायुक्त की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

4.8. जिन परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।

5. योजना की अवधि :-

यह योजना 01 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

(स्पष्टीकरण- अगर सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।)

6. अनुकंपा नियुक्ति के पद :-

इस योजना अंतर्गत कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3(गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी

Pat
2021/06/01

जाएगी जिस प्रकार के नियोजन म मृतक सेवक नियोजन

अर्थात -

| क्र | मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार | पात्र आश्रित के नियोजन का प्रकार |
|-----|---|----------------------------------|
| 1 | नियमित | नियमित |
| 2 | कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत | कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत |
| 3 | संविदा | संविदा |
| 4 | दैनिक वेतन भोगी/ कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय | आउटसोर्स |

7. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया:-

7.1. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट एक में दर्शाए प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख जिसमें दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.2. आवेदन मृत्यु दिनांक से 04 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारण से संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी अधिकतम तीन माह तक का विलंब माफ कर सकेंगे।

7.3. अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभाग में बनाई जावगी एवं इसका क्रम दिवंगत सेवायुक्त की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित

किया जावेगा, अर्थात् जो सेवायुक्त पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले अनुकंपा नियुक्ति आक्षेपण नियमों का पालन करते हुये दी जावेगी।

7.4. अनुकंपा नियुक्ति यथा संभव उसी कार्यालय वा विभाग में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त निधन के पूर्व नियोजित था।

7.5. यदि विभाग की स्थापना में ऐसा पद रिक्त नहीं है, जिस पर परिवार के सदस्यों को कंडिका 6 के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है तो इसके लिए सांख्येत्तर पद निर्मित किया जा सकेगा। ऐसे सांख्येत्तर पद पर की गई नियुक्ति भविष्य में नियमित पद की रिक्ति के विरुद्ध समाप्त की जावेगी एवं पात्र आश्रित की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से सांख्येत्तर पद रिक्त होने पर स्वतः समाप्त समझा जावेगा।

सांख्येत्तर पद निर्मित करने की अनुमति निम्न समिति द्वारा दी जाएगी:-

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन - अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
3. विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग - सदस्य सचिव

7.6. दिवंगत सेवायुक्त के परिवार को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की जानी है।

7.7. दिवंगत सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में उसे पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय

का शपथ-पत्र लिया जायगा कि वह देवगत सेवायुक्त क पारवा
अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा।

7.8. आउटसोर्स के रूप में पात्र आश्रित को उसकी शैक्षणिक
योग्यता के आधार पर कण्डिका 8.3 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी
द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित कराया जायेगा।

8. प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी :-

8.1. जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके
नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने
अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन
के बाद नियुक्ति आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया
जावेगा।

जिला कलेक्टर से अपेक्षा है कि वह अनुमोदन देने से
पूर्व, जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के
समस्त प्रकरणों की समीक्षा कर लें, ताकि यथासंभव संबंधित जिले में
ही पात्र आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सके। यदि किसी विभाग
में उपयुक्त पद रिक्त न हो तो जिले के अन्य किसी ऐसे विभाग में
पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति अन्य ऐसे विभाग में दी जाने के
निर्देश कलेक्टर संबंधित को दे सकेगें। आशय यह है कि, यह
अनिवार्यता नहीं रहेगी कि जिले में अनुकंपा नियुक्ति उसी विभाग में
दी जाए जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था।

8.2. सचिवालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ सेवायुक्तों
के प्रकरणों में संबंधित विभाग प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे।

8.3. दैनिक वेतन भोगी/कलेक्टर दर पर कार्यरत/आऊट सोर्स/मानदेय कर्मी की मृत्यु पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को आऊटसोर्स के माध्यम से नियोजित करने के लिए कलेक्टर/सक्षम विभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

9. अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/संस्थाओं /प्राधिकरण /विश्वविद्यालयों /स्थानीयनिकायों/पंचायती राज संस्थाओं के नियोजन हेतु

राज्य शासन के निगम/मण्डल/संस्थाओं/प्राधिकरण/विश्वविद्यालयों/ स्थानीय निकाय में कार्यरत नियमित/स्थाईकर्मियों/दैनिकवेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आऊटसोर्स सेवाबुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इन संस्थाओं को प्रकरण कंडिक्शन 8.1 के अंतर्गत कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की समय-सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

P. S. Patil
28/1/2024
(रजका पट्टे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना अंतर्गत
आवेदन पत्र का प्रारूप

आश्रित सदस्य
का आवेदन
नम्बर छ/आ/वि/

- 1
- (क) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त का पूर्ण नाम _____
- (ख) पदनाम _____
- (ग) नियोजन का प्रकार- नियमित/स्थायिक/कार्यभरित एवं अकस्मिकता से वेतन पाए वाले/
दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/ सेविदा /कन्क्टर दर/ आउटसोर्स/ अनदेय
- (घ) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त की मृत्यु का दिनांक _____
- (ङ.) कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत
शासकीय सेवक/सेवायुक्त पदस्थ था, _____
- 2
- (क) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम _____
- (ख) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त से संबंध _____
- (ग) स्थाई पता _____
- (घ) वर्तमान पता _____
- (ङ) जन्मतिथि----- अंकों में _____
शब्दों में _____
- (च) आयु _____
- (छ) धर्म _____
- (ज) जाति (यदि अनुसूचित जाति./जनजाति या
अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो स्पष्ट रूप से दर्शावे)
- (झ) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण _____
- (ञ) अन्य अर्हताओं का विवरण _____
- (ट) क्या आवेदक फैमिली/परिवार पेंशनर हैं, यदि हाँ तो _____

| स.क्र. | पी.पी.ओ. क्रमांक | जिला कोषालय का नाम, जहां से प्रथम भुगतान हुआ | बैंक का नाम व पता | बैंक खाता क्रमांक |
|--------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(क) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को
नुकम्पा नियुक्ति देने हेतु सहमति:-

| स.क्र. | परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम | आयु | दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के साथ संबंध | यदि सेवारत हो तो उसका विवरण सेवारत है शासकीय/अर्धशासकीय या निजी सेवा | आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति द देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/असहमति एवं हस्ताक्षर | टीप |
|--------|--------------------------------------|-----|--|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पाई जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

2. मैं यह वचन देता हूँ/देती हूँ कि, मैं स्व. श्री _____ (दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करूंगा/करूंगी, बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि, मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

स्थान:- _____

दिनांक:- _____

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप:- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जावें:-

1. दिवंगत शासकीय सेवक /सेवायुक्त का मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. मृतक सेवक/सेवायुक्त का पहचान प्रमाण-पत्र
3. आश्रित सदस्य का पहचान प्रमाण-पत्र
4. शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
5. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
6. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
7. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तदविषयक प्रमाण पत्र-
8. मृतक और आश्रित सदस्यों के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र
9. प्रयोगशाला रिपोर्ट जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 के परीक्षण में कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।
10. आऊटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में संबंधित आऊटसोर्स एजेंसी का मृतक के नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र
11. कोविड-19 पॉजिटिव के उपचार के दौरान मृत्यु हुई अथवा कोविड-19 स्वस्थ होने के पश्चात् किसी बीम से मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र। जहां चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना संभव नहीं हो तो इस संबंध में परिवार का सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसमें मृत्यु की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख हो।
12. आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियमित सेवा में नियोजित न होने का शपथ पत्र।

//कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण//

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में, दिये गये संपूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता जांच कर ली गई है।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार का जो विवरण दिया है, उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनांक..... को कोविडग्रस्त हुये तथा उनकी मृत्यु दिनांक हो गई है। मृत्यु के समय वे इस कार्यालय में नियमित/स्थायीकर्मों/ कार्यभारित आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संवेदा/कलेक्टर/आउटसोर्स/मानदेय के रूप मेंपद पर कार्यरत थे।
4. मैं पूर्ण जाँचोंपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता आती है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

(जहाँ दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त कार्यरत था)

नाम

कार्यालय का नाम